FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम कैलाश

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 606/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर–2025" के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का उकरूंद ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का उकरूंद के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम उकरूंद पटवार हल्का उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074–77 में खाता संख्या 57 के खातेदार कैलाश, मानसिंह पुत्र पन्ना, कौशल्या, चैनी पुत्री पन्ना, भौती पत्नि स्व. पन्ना हिस्सा 5/28, किशन, खिलारी पुत्र मूल्या हिस्सा 1/4 , रवि कुमार पुत्र रामकरण हिस्सा 1/28 राजकुमार पुत्र रामकुवांर हिस्सा 1/28 दर्ज है। रकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड में सा. बावडीखेडा के स्थान पर खातेदार कैलाश, मानसिंह पुत्र पन्ना, कौशल्या, चैनी पुत्री पन्ना, भौती पत्नि स्व. पन्ना हिस्सा 5/28, किशन, खिलारी पुत्र मूल्या हिस्सा 1/4 , रवि कुमार पुत्र रामकरण हिस्सा 1/28 राजकुमार पुत्र रामकुवांर हिस्सा 1/28 दुरूस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मण्डावर की अस्पष्ट अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत अस्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है। **आदेश** हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया। (अमित कुमार वर्मा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	